भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 3869

दिनांक 02.04.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

सुरक्षित पेयजल की सुलभता

3869. श्री राजकुमार धूतः

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस समय महाराष्ट्र के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कितने घर हैं जिन्हें नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल पहुँचता है, उनकी संख्या का ग्राम एवं शहर-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार निश्चित समय-सीमा के भीतर घरों के परिसर में नल से पानी पहुँचाने की योजना के अंतर्गत राज्य के सभी घरों को शामिल करने के लिए रूपरेखा तैयार करने का विचार रखती है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री एस.एस. अहलूवालिया)

(क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, दिनांक 01.04.2017 के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में 133.13 लाख ग्रामीण परिवार हैं। महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण परिवारों की वर्तमान कवरेज 49.08 लाख (36.87%) परिवार हैं जिनकी वैयक्तिक पारिवारिक नल कनेक्शनों के जरिए पीने योग्य सुरक्षित पेयजल तक पहुंच है।

(ख) जी हां। मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) का पुनर्गठन किया है जिसमें मंत्रालय ने रणनीतिक लक्ष्य वर्ष 2017-2030 तैयार किया है ताकि वर्ष 2030 तक 'हर घर जल' को प्राप्त किया जा सके अर्थात राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों के जरिए प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना। अंतत: वर्ष 2030 तक नल जल आपूर्ति और घरेलू कनेक्शन के साथ ग्रामीण जनसंख्या को कवरेज प्रदान करने का लक्ष्य है।

इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के स्थायी विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के आधार पर ''विजन 2030'' जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग का दस्तावेज, में महाराष्ट्र सरकार ने यह परिकल्पित किया है कि सभी परिवारों के पास वर्ष 2030 तक चरणबद्ध तरीके से घर के परिसरों के भीतर वैयक्तिक कनेक्शन होंगे। इसके अलावा, पीडब्ल्यूएस योजनाओं का निर्माण 100% घरेलू नल कनेक्शन के लिए कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, 02 अन्य कार्यक्रम हैं नामत: मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एमआरडीडब्ल्यूपी) जो कि एक राज्य प्रायोजित स्कीम है और जल स्वराज्य II(जेएस-II) विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम जो कि घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की ऐसी ही एक नीति है।

शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, शहरी विकास राज्य का विषय है। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन का अटल मिशन (एएमआरयूटी) का प्रारंभ 500 देश के मिशन शहरों में जिसमें महाराष्ट्र के 44 शहर शामिल हैं, 25 जून, 2015 को भारत सरकार द्वारा किया गया। जल आपूर्ति इस मिशन का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है। एएमआरयूटी मिशन के अंतर्गत, भारत सरकार केवल राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएपी) का अनुमोदन करती है और मिशन दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्रीय सहायता (सीए) जारी करती है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा निजी परियोजनाओं को चयनित, मूल्यांकित, अनुमोदित और कार्यान्वित किया जाता है।